न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

निग/3334-PBR-15

(16)

रामचंद्र पिता गणपत जाति धाकड उम्र 55 वर्ष
धंधा खेती निवासी ग्राम राजोद तह0 सरदारपुर जिला धार

.....निगरानीकर्ता

बनाम

मनोहर पिता तुलसीराम रजत जाति धोबी उम्र 50 वर्ष
धंधा खेती निवासी ग्राम राजोद तह0 सरदारपुर जिला धार

.....विपक्षी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि ग्राम राजोद तहसील सरदारपुर की भूमि सर्वे नंबर 257, 294, 589, 590 कुल रकबा 1.850 हैक्टर होकर मैं स्व. भुरीबाई का वारीस हूँ। भूरीबाई की मृत्यु होने पर मैं एकमात्र वारीस हूँ यथाकथित मनोहर व मेरे बीच पूर्व में मुकदमे चले होकर पूर्व में निर्णय हुए कि यथाकथित मनोहर पिता तुलसीराम रजत को कोई हक नही है उसका आधार व्यर्थ है उक्त निर्णय अंतिम हो चुका है आज भी कायम है इसकी जानकारी मनोहर पिता तुलसीराम धोबी को है व जिसमें उसका यथाकथित वसीयत का आधार अप्रमाणित माना है उसकी कोई अपील अपर आयुक्त महोदय इंदौर सभाग में मनोहर ने नही की है। जो निर्णय राजस्व अपील क्रमांक 7/2000–01 दि. 26.11.2001 को निर्णय हुआ उसकी कोई अपील अथवा निगरानी मनोहर रजत ने नही की है। [redacted]नंदीबाई फौत हो चुकी है उसका वारीस भी मै हूं [redacted]नंदीबाई मेरी माता है जहां तक अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने जो निर्णय राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 25/2012–13 में दिनांक 08.07.2015 को दिया था उसमें कही से कही तक संपूर्ण निर्णय में मनोहर नाम कराने का अधिकारी है ऐसा उल्लेख नही है। ज्यादा से ज्यादा पूर्व स्थिति में भूरीबाई का नाम आता है लेकिन मैं हितधारी होते हुए मुझे बिना बुलाये राजस्व प्रकरण क्रमांक

54/2014–15/अ–6 में दिनांक 23.07.2015 को प्रारंभ होकर उसमें भी मुझे कोई सूचना नही दी व तारीख में भी व माह में काटाकुटी करके दिनांक 06.08.2015 को आज्ञा व पत्र जारी किया जो विचाराधिकार रहित है सारी कार्यवाही नियम व उपनियम का पालन किये बिना है हम हितधारी को बिना सूचना के है पूर्व निर्णय हुए है कि मैं हितधारी हूं। मुझे बिना बुलाये कोई कार्यवाही व आज्ञा विचाराधिकार रहित है ज्यादा से ज्यादा भूरीबाई का नाम होना था जो मृत है ऐसी दशा में मनोहर विपक्षी को किसी भी हालत में नाम का अधिकारी नही था मनोहर ने छलयुक्त बिना बुलाये नोटिस नही दिया है अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहां मैं पक्ष था अगर पूर्व स्थिति कायम कराना चाहते है तो मुझे सूचना देना थी सारे कानून कायदे को बलाये ताक रखकर अपर तहसीलदार महोदय सरदारपुर ने जो आज्ञा दिनांक 06.08.2015 को दी जो विचाराधिकार रहित है एबिनोसाईड है ऐसी दशा में पत्र व संक्षिप्त आज्ञा जो राजस्व आज्ञा की परिभाषा में नही आती है इसलिए डायरेक्ट निगरानी पेश है माननीय राजस्व मंडल के न्याय उदाहरण है कि अवैध विचाराधिकार रहित मनमानी आज्ञा जो छल लिये हुए है जो विधि को ताक में रखकर है ऐसे केसेस में माननीय राजस्व मंडल सुपर विजन पावर में भी डायरेक्ट तहसील द्वारा की गई कार्यवाही को अपास्त करने में पूर्णतः सक्षम है यों भी दिनांक 06.08.2015 की निगरानी जो उक्त राजस्व प्रकरण क्रमांक 54/2014–15/अ–6 में दिनांक 23.07.2015 में दिया है व 08.07.2015 का जो आदेश है उसमे मनोहर का नाम किया जावे इस बाबद कोई निर्देश नही है न आज्ञा है। 08.07.15 की आज्ञा में मैं पक्ष होते हुए मुझे नही बुलाते हुए मनोहर के संबंध में जो आज्ञा दी है वह विचाराधिकार रहित है पूर्व स्थिति भी भूरीबाई की हो सकती थी उसमें भी मुझे सूचना होना थी व यों भी 08.07.2015 की आज्ञा को मैने चेलेज कर रखा है। अतः 06.08.2015 की आज्ञा व पत्र उक्त दिनांक की आज्ञा व पत्र से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्न आधारो पर सादर सदभावनापूर्वक कानून सम्मत पेश है :–

आधार निगरानी

1– यह कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही व तहसील की

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(18)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3837-पीबीआर/15 [रामचंद /मनोहर] जिला धार

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अपर तहसीलदार तहसील सरदारपुर जिला धार के प्रकरण क्रमांक 54/2014-15/अ-6 में पारित अंतरिम आदेश दि.6-8-2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने न तो हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस दिया और न ही अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 8-7-15 के निर्देशों का पालन किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व की स्थिति कायम किये जाने के निर्देश देने में त्रुटि की गई है, इसलिये तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । 4- अनावेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये । 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा मात्र अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दि. 8-7-2015 का पालन किया जा रहा है । आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 8-7-2015 को सक्षम न्यायालय में चुनौती देना चाहिये थी । अत: तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही स्थिर रखे जाने योग्य है । 6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर तहसीलदार तहसील सरदारपुर जिला धार द्वारा पारित अंतरिम आदेश दि.6-8-2015 स्थिर रखा जाता है । यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	